

(भारतकेराजपत्रभागII, खण्ड-3, उपखण्ड (I)में प्रकाशनार्थ)

भारतसरकार

स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालय

### अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख : 19, 07, 2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (हिंदी अनुवादक एवं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2017 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में यथानिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (35400-112400) लेवल-6	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो ।
<p>(7)</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री</p>	<p>(8)</p> <p>लागू नहीं होता</p>	<p>(9)</p> <p>दो वर्ष ।</p>

और

हिन्दी से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र अथवा केंद्र या राज्य सरकार, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम शामिल हैं, में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हितअभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण -2 अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(10) सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो: - (क) मूल केंद्र अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारित किए हुए हों और कॉलम (7) में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p>	<p>(11) लागू नहीं होता</p>	<p>(12) विभागीय पुष्टि समिति:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य</p>	<p>(13) लागू नहीं होता।</p>

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ अनुवादक	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (44900-142400) लेवल-7	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	(7) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	(8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
				(9) लागू नहीं होता	(10) पदोन्नति द्वारा।

<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।</p>	<p>(11)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।</p>	<p>भर्ती करने में सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p>
<p>वेतन मैट्रिक्समें लेवल 6 में कनिष्ठ अनुवादक से पदोन्नति जिसने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ की हो और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के हिंदी अनुभाग में अनुवादक के रूप में चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।</p>	<p>(12)</p>	<p>विभागीय पृष्ठ समिति:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य</p>	<p>(13) लागू नहीं होता।</p>
<p>टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p>	<p>(11)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।</p>	<p>भर्ती करने में सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p>
<p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>(12)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।</p>	<p>भर्ती करने में सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p>

अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख 19, 07, 2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, हिंदी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :(क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2017 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में यथानिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।



## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (56100-177500) लेवल-10	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष।

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>
<p>सामासिक पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)सह- पदोन्नति] संविदा सहित)सह- पदोन्नति]</p>	<p>सामासिक पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)सह- पदोन्नति] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के ऐसे अधिकारी - (क)(i) जो मूल काइर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 अथवा समकक्ष पदों पर नियमित नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री</p>

के माध्यम के रूप में अंग्रेजीके साथ,हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री

#### अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने अथवा अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिंदी में अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध अथवा शैक्षिक संस्थानोंमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

अथवा

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का अथवा हिंदी या अंग्रेजी में शोध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

वेतन बैंड-2, 9300-34800 + 4600 रु. ग्रेड वेतन में ऐसे विभागीय वरिष्ठ अनुवादक, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी अन्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर उनके चयनित हो जाने पर पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष</li> <li>2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य</li> <li>3. उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य</li> <li>4. सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य</li> </ol>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p> <p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>
--	---

(ए.11018/09/2008-आरआर)

(सजय पंत)

अवर सचिव, भारत सरकार